सख्ती का असर : महापौर मीनल चौबे ने कहा- गोवंश की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं

महापौर ने फटकारा तो 200 किलो गुड़ लेकर गोठान पहुंचे अधिकारी

जोनों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने फुंडहर के गोठान में गोवंशों को खिलाया गुड़

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. नगर निगम के गोधामों में गोवंश की दुर्दशा को लेकर सोमवार को महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों की बैठक लेकर क्लास लगा दी। जोनों के स्वास्थ्य अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अधिकारी केवल कागजी रिपोर्ट पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं मौके पर जाकर गौवंश की वास्तविक स्थिति देखें और आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित करें। इससे पहले उन्होंने निगम आयुक्त संबित मिश्रा को पत्र जारी कर खुद अव्यवस्था ठीक कराने का निर्देश दिया था।

महापौर ने अधिकारियों से साफ कहा कि गोवंश हमारी आस्था और जिम्मेदारी भी है कि उन्हें सुरक्षित रखें। सड़कों से उठाकर जिस गोधाम में रख रहे हैं, वहां पर्याप्त व्यवस्था कराना किसकी जिम्मेदारी है। बारिश में गौमाता को बचाने के लिए तत्काल गोठानों में तिरपाल लगवाएं। सभी जेडएचओ फुंडहर जाकर गोवंश को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था बनाएं। महापौर के सख्त तेवर को देखते हुए फुंडहर में खाली जगह को समतल कराया और करीब 200 किलो गुड़ खिलाकर सेवा करने में भी लगे।

महापौर के पत्र के बाद आयुक्त दो जगह देखने पहुंचे

फुंडहर गोठान में क्षमता से दोगुना गोवंश और कई की मौत हो जाने पर महापौर ने कड़ा पत्र निगम आयुक्त संबित मिश्रा को लिखा था कि वह खुद मौके पर जाकर देखें। इसके बाद सोमवार को आयुक्त मिश्रा फुंडहर और गोकुलनगर गोधाम पहुंचे और चारा, पानी, स्वच्छता, गौवंश की जांच टीकाकरण के निर्देश दिए।

पशुपालकों से अपील, काऊकेचर टीम भी तलब

महापौर चौबे ने गोवंश को दुर्घटना से बचाने के लिए सड़कों पर ना छोड़ने की अपील पशुपालकों से की। जोन हेल्थ अफसरों के साथ ही काऊकेचर टीम को भी तलब किया। गोठानों की क्षमता, चारा-पानी, शेड, स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। उन्हें बताया कि अब जगह रखने के लिए नहीं है। ऐसे में सड़कों से उठाकर आउटर में छोड़ रहे हैं। गोकुल नगर में प्रति गोवंश 23 रुपए तथा फुंडहर, अटारी एवं जरवाय गोठानों में 27 रु प्रति गौवंश के हिसाब से भुगतान की जानकारी दी।

गोलबाजार के गुंबद के नीचे से बेदखल होंगे 45 दुकानदार

निगम के नोटिस के बाद चेंबर पदाधिकारियों ने भी लिया जायजा

रायपुर@पत्रिका. नगर निगम ने 150 साल पुराने गोलबाजार के ऐतिहासिक गुंबद को संवारने का निर्णय लिया है। अभी इसके आसपास 40 से 45 चूड़ी, टिकली की दुकानें चल रही हैं। जिन्हें खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में गोलबाजार व्यापारी संघ के साथ आपसी सामंजस्य से उस जगह को खाली कराने के लिए सोमवार को बैठक हुई, लेकिन दुकानदार खाली नहीं करने पर अड़े रहे। ऐसी स्थिति में मंगलवार को निगम का दस्ता गुंबद की जगह को खाली करा देगा।

निगम बाजार विभाग की उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा ने उस जगह को खाली कराने का प्रयास किया। गोलबाजार व्यापारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजय देवांगन का कहना है कि ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण प्लान का विरोध नहीं है। परंतु छोटे व्यापारियों को व्यवस्थापन के लिए समय दिया जाना चाहिए। इस संबंध में चेम्बर ऑफ कामर्स के पदाधिकारियों के साथ गोलबाजार में बैठक भी हुई है।

मालिकाना हक योजना की फाइलें बंद

पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने तत्कालीन राज्य सरकार की योजना के तहत गोलबाजार को व्यवस्थित करने व्यापारियों को मालिकाना हक दिलाने का प्रस्ताव पास किया था। व्यापारियों को दुकानों की रजिस्ट्री करवाना था। परंतु गाइड लाइन रेट ज्यादा होने से कारोबारी पीछे हट गए थे। सर्वे में 569 दुकाने सूचीबद्ध की गई थीं। इसमें केवल 30 से 35 दुकानदारों ने ही रजिस्ट्री कराई। इसके बाद मालिकाना हक की फाइल बंद हो गई।

सराफा कारोबारियों की मांग, वायदा कारोबार बैन हो

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. सराफा व्यापार केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और हर परिवार की बचत का आधार है। इस व्यापार को सट्टेबाजी से बचाना आवश्यक है। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने देश के सराफा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन पत्र भेजा है। इसमें मालू ने कहा है कि सोने-चांदी के वायदा कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। वायदा एक तरह की सट्टेबाजी है, जिससे भाव में बनावटी उतार-चढ़ाव होता है और छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान होता है। इसे तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने की भी मांग की। उनका तर्क है कि शुल्क बढ़ने से तस्करी बढ़ी है, जबकि शुल्क कम होने से तस्करी रुकेगी और सरकार का राजस्व बढ़ेगा।

Nagar Palika Parishad Narayanpur
Dist Narayanpur - Narayanpur (C.G.)

e-Procurement Tender Notice 2nd Call
Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in
NIT No:- PWD/NPP/2026/2253 Narayanpur, Dated:- 31.08.2026

SN	System Tender No	Description	Probable Amount of Contract
1	198506	Construction of Gouravpath At Pankaj Shop To Gandhi Chowk & Bajar Chowk To Gayatri Mandir At Municipal Area	524.90 Lakh

The Details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh e-Procurement Portal http://eproc.cgstate.gov.in 31.08.2026, 5:30 Hours. (IST) on wards & Last date for Online Bid Submission 16.09.2026 at 5:30 Hours.
For more details on the tender and bidding process you may please visit the above mentioned portal.

Chief Municipal Officer
Nagar Palika Parishad Narayanpur
Distt. Narayanpur-Narayanpur (C.G.)

आम सूचना

रायपुर विकास प्राधिकरण (प्रोग्रेस्ड माता विहार) कमल विहार, सेक्टर-8, पुनर्नियत भूखण्ड क्रमांक बी-78, बी-81, रकबा क्रमशः 447, 447 वर्गमीटर के संबंध में।

एतद् द्वारा सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि हमारे संज्ञान में विज्ञापनदाता श्री आनन्द कुमार पिता श्री अक्षय कुमार, निवासी मकुन्दा, कॉलम जी.टी. रोड, वार्ड 36, बिलासपुर, बिहार के स्वामित्व एवं अधिपत्य के भूखण्ड क्रमांक बी-78, बी-81, रकबा क्रमशः 447, 447 वर्गमीटर जो कि मार्ग शुभ-दुष्प्रद, म.प्र.नं. 100/01, खसरा नं.-रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) के रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना क्रमांक 04 (प्रोग्रेस्ड माता विहार) कमल विहार, सेक्टर-8, पुनर्नियत निर्माणित भूखण्ड जो कि खसरा नंबर 6 एवं 24 के भाग पर स्थित हैं, को खरीदने का पक्का सौदा कर लिया है तथा विक्रय पंजीयन किया जाना शेष है।

उपरोक्त वर्णित संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, सोसायटी, बैंक, शासकीय-अर्धशासकीय विभाग, महाजन अथवा किसी परिवारिक सदस्य या अन्य को किसी भी प्रकार से कोई दावा, दावा या आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन तिथि से 7 दिनों के भीतर हमारी कार्यालय में सब रजिस्ट्रार प्रकाश बार में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर पावती लेवें। समयावधि पश्चात की गई किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावा हमारे माध्यम पर अग्राह्य नहीं होगी तथा इसके तथा मूल्य व अंतिम सम्पत्ति लेनदेन तथा हमारे पक्षकार के पक्ष में बैनामा पंजीयन का निष्पादन करा लिया जायेगा।

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक :- 31/08/2026

तरुण सुराना, सुरभ सुराना
(अधिवक्ता)
मिन्नी सेंटर, कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.)
मोबाईल नंबर - 93027-81154

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

यार्ड री-मॉडलिंग के सम्बन्ध में OHE में बदलाव कार्य के लिए ई-निविदा सूचना

निविदा क्रमांक: 30-CEE-C-SECR-2026
दिनांक: 19.08.2026
कार्य का नाम: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में गोंदिया - चांदा फोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट के सन्दर्भ में उंजवान केबिन, गोंदिया (दव्वा), हिरदामाली, कठेगांव, वडसा और नागभीड़ जंक्शन के यार्ड री-मॉडलिंग के सम्बन्ध में 2 x 25 KV ट्रैक्शन के साथ OHE में बदलाव का काम।
निविदा मूल्य: ₹18,18,70,147/- (रु. अठारह करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार एक सौ सैतालीस मात्र)
बयाना राशि: ₹ 36,37,400/-
समापन अवधि: 24 महीने, स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से।
निविदा बंद होने की तिथि और समय: दिनांक 15.09.2026 को 15:30 बजे।
वेबसाइट विवरण और नोटिस बोर्ड स्थान: निविदा दस्तावेज, पात्रता मानदंड व उपरोक्त कार्य के पूर्ण विवरण के लिए वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें / डाउनलोड करें।

उप मुख्य विद्युत अभियंता - निर्माण, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर

D3605/20-96

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

एक और नई शुरूआत...
जल्द ही
पंडरी, रायपुर पर

प्रदेश में आज से राज्यव्यापी साक्षरता पखवाड़ा

10 लोगों को साक्षर बनाने पर स्थानीय-बोर्ड परीक्षा में मिलेगा 10 अंक का बोनस

रायपुर@पत्रिका. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को शिक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस (8 सितंबर) के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 1 से 15 सितंबर तक पूरे प्रदेश में 15 दिवसीय राज्यव्यापी 'साक्षरता पखवाड़ा' आयोजित होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टरों एवं जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अध्यक्षों को विस्तृत कार्ययोजना भेजकर जिले में व्यापक जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

साक्षरता पखवाड़े की शुरुआत मंगलवार को समस्त शासकीय कार्यालयों, स्कूलों एवं कॉलेजों में उल्लास शपथ के साथ होगी। अभियान के दौरान घर-घर सघन सर्वेक्षण कर 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों और स्वयंसेवी शिक्षकों का उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से शत-प्रतिशत डिजिटल पंजीयन किया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा 10 असाक्षरों को साक्षर बनाने पर स्थानीय एवं बोर्ड परीक्षा में 10 बोनस अंक देने का विशेष प्रावधान किया गया है।

नुक्कड़ नाटक व मशाल रैली भी

जन-जागरुकता के लिए हाट-बाजारों में नुक्कड़ नाटक, साक्षरता चौपाल, प्रभात फेरी और मशाल रैलियों का आयोजन किया जाएगा। 7 सितंबर को 'विष्ठी कलेक्टर के नाम' प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें नव-साक्षर बुजुर्ग महिलाएं स्वयं हाथ से चिट्ठी लिखकर साक्षरता का संदेश देंगे। 8 को साक्षरता दिवस पर जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य समारोह होंगे। शाम 7 बजे पूरे राज्य में 'उल्लास साक्षरता दीप' जलाए जाएंगे।

पीपीपी मोड पर विकसित होगा बॉटनिकल गार्डन

50 करोड़ में संवरेगा नंदन वन

रायपुर@पत्रिका. रायपुर के गुरु अटारी स्थित नंदनवन का 50 करोड़ रुपए खर्च कर संवारा जाएगा। मंत्रालय महानदी भवन में सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक के दौरान वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव विकासशील के समक्ष नंदनवन पुनर्विकास की प्रस्तावित परियोजना का प्रस्तुतिकरण दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नंदनवन के कायाकल्प और विकास कार्य में करीब 50 करोड़ का निवेश अनुमानित है। पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत परियोजना को पूरा किया जाएगा। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बॉटनिकल गार्डन को नए सिरे से पुनर्जीवित और विकसित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने परियोजना में पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जन-सुविधाएं विकसित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

समक्ष श्रीमान पब्लिक नोटरी महोदय, कुरूद, जिला धमतरी छ.ग.

जफर अहमद खान पिता अब्दुल रज्जाक खान उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम कुरूद तह. कुरूद जिला धमतरी छ.ग. का 4357 8486 7961

...शपथकर्ता

।। शपथपत्र ।।

मैं उपरोक्त शपथकर्ता निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन करता हूं :-
1. यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार है।
2. यह कि मेरे पूर्व शैक्षणिक दस्तावेज में मेरी जन्म तिथि 11.06.1964 अंकित है जबकि मेरी वास्तविक सही जन्म तिथि 11.06.1966 है जिसके आधार पर मेरा जन्म प्रमाणपत्र न्यायालय के आदेश पर संशोधन पश्चात द्वारा जारी किया गया है।
3. यह कि अब मेरी वास्तविक सही जन्म तिथि 11.06.1966 है अब भविष्य में मेरी जन्म तिथि 11.06.1966 सभी शासकीय व अर्धशासकीय दस्तावेजों में अंकित की जावे।
4. यह कि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत या असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूंगा। उक्त शपथपत्र समाचार पत्र में प्रकाशन किया जावे।

अद्य उक्त तिथि के संबंध में उक्त शपथपत्र प्रस्तुत है।

मैं जफर अहमद खान पिता अब्दुल रज्जाक खान शपथपूर्वक का सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र की अंकित 1 से 4 में उल्लेखित जानकारी मेरी अवगित जानकारी से सही व सत्य है अतः शपथपत्र पढ़कर समझकर सही पाकर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा लगाकर का सत्यापित किया।
दिनांक 31.08.2026

शपथकर्ता
जफर अहमद खान

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

विविध एस एण्ड टी कार्य हेतु निविदा सूचना

क्र.सं. (1) ई-निविदा सूचना संख्या: 14-एसटी-टेंडर-2026, दिनांक-19.08.2026
कार्य : 1. अमलाई (AAL): कटनी (KTE) फोर्क पर अप लूप लाइन L7 के डेड एंड (DE) का विस्तार करते हुए, सीधी लाइन पर डिस्पैच सुविधा सहित लॉन्ग-होल गठन एवं मालगाड़ी पार्किंग लाइन का निर्माण/विस्तार, साथ में पायथे एवं प्रकाश मास्का की सुविधा। 2. लोरहा (LOA): कटनी (KTE) छोर पर मौजूदा डाउन लूप लाइन संख्या-1 के डेड एंड (DE) को विस्तार करके बाउन लॉन्ग-होल लूप (CAL-1520 मीटर) का निर्माण, जिसमें रिसेप्शन सुविधा भी शामिल है। 3. लोरहा (LOA): दोनों छोरों पर लॉन्ग-होल ट्रेनों के संचालन / डीजलैंडिंग हेतु द्वि-दिशात्मक (Bi-directional) सीधरी डाइन सहित लॉन्ग-होल लूप लाइन का निर्माण।
निविदा मूल्य : ₹ 6,99,72,603.71/- (छह करोड़ निन्यानवे लाख बहत्तर हजार छह सौ तीन रुपये और दुकानदार पैसे मात्र)। बयाना राशि : ₹ 13,99,500/- (तेरह लाख निन्यानवे हजार पांच सौ रुपये मात्र)। निविदा का जमा होना : दिनांक 15.09.2026 के 15:00 बजे तक।
उपरोक्त ई-निविदा सूचना की पूरी जानकारी http://www.ireps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपरोक्त निविदा हेतु ई-टेंडर के जरिया अन्य टेंडर स्वीकार नहीं की जाएगी।
मंडल संकेत एवं दूर. इंजी./वैन लाईन सीपीजार10/36उ.ए.म. रेलवे, बिलासपुर

South East Central Railway @secrail

कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर (छ.ग.)
निविदा आमंत्रण सूचना

क्र.26/न.पा.नि./जोन क्रमांक-7/2026-27 दिनांक 31/08/2026

नगर पालिक निगम बिलासपुर जोन क्र. 07 में ड्राईवर/हेल्पर (प्लेसमेंट श्रमिक) प्रदाय हेतु निविदा आमंत्रण जोन के माध्यम से किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

विज्ञ संख्या	कार्य का नाम	ष्ठी. राशि (लाखो में)
GEM/2026/B/7979003	जोन क्र. 07 में ड्राईवर/हेल्पर (प्लेसमेंट श्रमिक) प्रदाय कार्य।	82.05

उपरोक्त कार्य हेतु अन्य जानकारी https://gem.gov.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

समस्तिकर, टुकाव किराया एवं पानी बिल का भुगतान ऑनलाईन nigambilaspur.com/pts पर किया जाता है।

कार्यपालन अभियंता
जोन क्रमांक-7
न.पा.नि. बिलासपुर (छ.ग.)

pnb पंजाब नैशनल बैंक
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, रायपुर (छ.ग.)

ई-नीलामी तिथि - 24.09.2026
समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

विवेच अधिनियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा सुरक्ष हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-निलामी मुपन मुख्ठि हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत जारी की जा रही है।
इस सूचना के द्वारा उचक्तकर्ताओं, जमानतादाओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्रधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियो की बिक्रय "जहाँ है जैसा है" "जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलमो में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उचाकर्ताओं तथा जमानतादारो से वसूली के लिए किया जा रहे है। आरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समक्ष दर्शाई गई है।

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

क्र.	खाताधारक का नाम / उचाकर्ता / जमानतदार का नाम व पता शाखा का नाम	बंधक धन/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम	1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा प्रिति सांकेतिकी एवं 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य / ईमानी (लाख में) / बोली वृद्धि राशि-10000/- प्रत्येक संपत्ति के लिये
1	उचाकर्ता:- मेसर्स सम्यक एसो इंजरटीज, पार्टनर्स - श्री अक्षय कुमार जैन पिता श्री केलाश चंद जैन एवं श्रीमती रश्मी जैन पति श्री अक्षय कुमार जैन, शाखा- भिलाई (096020), संपर्क- श्री शार्मक उपाध्याय,9981790493 परिवार की भूमि, दक्षिण- सीधू एचोनी की भूमि, पूर्व- सतु की भूमि, पश्चिम-मुन्ना की भूमि (ग) खसरा नं 295/5, क्षेत्रफल - 0.08 हेक्टेयर, सीमाएँ: उत्तर: विक्रेता की भूमि, दक्षिण-विक्रेता की भूमि, पूर्व-अन्य की भूमि, पश्चिम-विक्रेता की भूमि कुल क्षेत्रफल - 0.23 हेक्टेयर, मालिकाना हक- श्री अक्षय कुमार जैन पिता श्री कैलाश चंद जैन, भौगोलिक निर्देशांक: 21.200354,81.270022 संपत्ति क्रमांक 2) प्लांट एवं मशीनरी : खसरा न. 295/3, 295/4, 295/5, ए.ह.न 27, जैनम धर्मकांटा के पास, मोजा - सेलुद, आरएनएम भिलाई-3, तहसील - पाटन, जिला - दुर्ग, (छ.ग.), मालिकाना हक - मेसर्स सम्यक एसो इंजरटीज. भौगोलिक निर्देशांक: 21.200354,81.270022	1) 09-05-2022 2) रू 1,00,55,345.85 + दिनांक 30-04-2022 से ब्याज प्रभावी 3) 28-07-22 को भौतिक कब्जा	रू 20.27 लाख रू 2.02 लाख
2	उचाकर्ता:- मेसर्स गुरुदेव सीलन कॉरपोरेशन, प्रोप.- श्री गौतम चंद जैन पिता श्री मुकन चंद जैन, जमानतादाचंधकर्ता- श्रीमती बसंती उर्फ श्रद्धा जैन पति श्री गौतम चंद जैन, शाखा- कटोरा तालाब,रायपुर (324400) संपर्क- श्री सुहानी अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791066	आवासीय प्लॉट खसरा नं 1074/61 (भाग), ए. ह न 106,सोनकर कॉलोनी, अभिनि नगर, कमनेज सुधीर मुखर्जी वार्ड नं 65, तहसील एवं जिला - रायपुर (छ.ग) में क्षेत्रफल: 917 वर्गमीटर पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती बसंती उर्फ श्रद्धा जैन पति श्री गौतम चंद जैन एवं श्री गौतम चंद जैन पिता श्री मुकन चंद जैन सीमाएं : उत्तर: पृथ्वी सिंह का मकान, दक्षिण:खुला प्लॉट, पूर्व: अन्य की संपत्ति, पश्चिम: 20' चौड़ी सड़क।भौगोलिक निर्देशांक: 21.235311,81.617513	1) 09-05-2022 2) रू 1,00,55,345.85 + दिनांक 30-04-2022 से ब्याज प्रभावी 3) 28-07-22 को भौतिक कब्जा	रू 20.27 लाख रू 2.02 लाख
3	उचाकर्ता:-श्रीमती सोना मणि चौधरी पति स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी एवं सह-उधारकर्ता- श्री अभिषेक चौधरी पिता स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी. शाखा- दुर्ग, धमधा नाका (165400), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री पवन कश्यप, 9770780508	दो मंजिला आवासीय भवन- खसरा नंबर 8034 (भाग), ए.ह. नंबर 14, मौजा- कोहड़ा, रानी नगर, वार्ड नंबर 12, आरएनएम दुर्ग - 1, तहसील एवं जिला – दुर्ग में क्षेत्रफल- 2255 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति,मालिकाना हक - श्रीमती सोना मणि चौधरी पति स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी । सीमाएँ: उत्तर – अभिषेक चौधरी की भूमि, दक्षिण – गुरु आशुत्र आवाला का मकान, पूर्व– अभिषेक चौधरी द्वारा खरीदी जाने वाली भूमि, पश्चिम – 20 फुट चौड़ी सड़क,भौगोलिक निर्देशांक: 21.215825,81.354551	1) 21-08-2025 2) रू 36,90,651.95 + दिनांक 21-08-2025 से ब्याज प्रभावी 3) 24-12-25 को भौतिक कब्जा	रू 57.60 लाख रू 5.76 लाख
4	उपाकर्ता -मेसर्स एबीसी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, प्रोप.- श्री दिवाकर एम. रजिदार, , जमानतादार - श्रीमती मंजूषा रोजिदार, शाखा- स्टेशन रोड, दुर्ग- 079610, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री शाबेश उपाध्याय, 9981790493	इंडस्ट्रियल प्लॉट - सामरिक बंधक लीज होल्ड प्लॉट के साथ भवन / शेड कंस्ट्रक्शन स्थित शेड न 8 शाम जागूल, तहसील एवं जिला: दुर्ग - 490026, क्षेत्रफल - 12732 वर्गफीट। मालिकाना हक- श्री डी. एम. रोजिंदार पिता स्व. एल.आर. रोजिंदार। सीमाएँ:- उत्तर:प्लॉट नंबर05, दक्षिण: प्लॉट नंबर07, पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट नंबर 03, भौगोलिक निर्देशांक - 21.230518, 81.37792. *नोट - सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त पट्टा (लीज) की अवधि समाप्त हो चुकी है। *नोट: एस.ए. क्र. 52/2021 एवं आर.सी. 586/2020 संपत्ति के संबंध में लंबित है।	1) 18-06-2014 2) रू 1,74,01,236.00 + दिनांक 18-06-2014 से ब्याज प्रभावी 3) 11-12-25 को भौतिक कब्जा	रू 73.34 लाख रू 7.33 लाख
5	उपाकर्ता:- श्रीमती उषा अग्रवाल पति श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल, सह-उपाकर्ता- श्री अविरल अग्रवाल पिता श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल, शाखा- राजीव नगर, रायपुर, 917200. संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनेश्वर राम, 6207257725	आवासीय भूमि एवं मकान - खसरा न 437/6, ए.ह न 107/37, सुनील किराना स्टोर्स के पास, तेलघानी- पुजा विलास स्टोर्स, मौजा गोगांव, दीपक नगर, रायपुरा- भनसुली, आरआईसीसी रायपुर-1, रायपुर (छ.ग.) में क्षेत्रफल: 800 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्री अविरल अग्रवाल पिता श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल.सीमाएं : उत्तर: प्रेम लाल साहू की भूमि, दक्षिण: राजपूत ठाकुर की भूमि, पूर्व: मकान, पश्चिम: खुली भूमि.भौगोलिक निर्देशांक: 21.255885, 81.811698	1) 06-09-2022 2) रू 29,56,147.16 + दिनांक 30-09-2022 से ब्याज प्रभावी 3) 01-02-23 को सांकेतिक कब्जा	रू 29.26 लाख रू 2.92 लाख
6	उपाकर्ता:- श्रीमती बबीता अग्रवाल पति श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल एवं सह- उपकर्ता- श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल पिता श्री सत्यनारायण अग्रवाल, शाखा- देवेंद्र नगर, रायपुर - 748400, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनेश्वर राम, 6207257725	आवासीय भूमि एवं मकान - मकान न 181 एवं 182, प्लॉट नंबर 12 व 13, जी.के. हाउसनिल, सेक्टर नंबर 3, खसरा नं 556 का भाग, ए.ह. न 90 (नया 20), रायपुर में विलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में, मौजा - सिलतरा, आरएनएम बसंतीगढ़ 1, तहसील एवं जिला- रायपुर में क्षेत्रफल: 2700 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती बबीता अग्रवाल पति श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल.सीमाएं : उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य की संपत्ति (प्लॉट नंबर 21), पूर्व: सड़क, पश्चिम: अन्य की संपत्ति.भौगोलिक निर्देशांक: 21.384028, 81.672556	1) 11-01-2018 2) रू 52,14,746.00 + दिनांक 01-01-2018 से ब्याज प्रभावी 3) 11-05-18 को सांकेतिक कब्जा	रू 36.78 लाख रू 3.67 लाख
7	उपाकर्ता:- श्रीमती डेजी सिंह पति श्री बीरेंद्र मोहन सिंह, सह-उपाकर्ता- श्री बीरेंद्र मोहन सिंह पिता स्व. शिवब्रत प्रसाद सिंह, जमानतादार- श्री. तुलसीराम कसकड़े पिता स्व. भीमन कसकड़े एवं श्रीमती बीना कुर्रे कसकड़े पति श्री तुलसीराम कसकड़े. शाखा- देवेंद्र नगर, रायपुर (748400),संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनेश्वर राम, 6207257725	आवासीय भूमि एवं भवन- खसरा नं 130/246 (5400 वर्गफुट) एवं खसरा 130/274 (ग्राम जाम (400 वर्गफुट), प.ह. न 107/37, साहू विकास स्टोर के पास, विवेकानंद विद्यापीठ के पीछे, छोटा भवानी नगर, टीचर्स कॉलोनी, मौजा कोटा, रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्र. 02, रायपुर, आरएनएम रायपुर-2, तहसील एवं जिला - रायपुर, (छ.ग.) में क्षेत्रफल- 940 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती डेजी सिंह पति श्री बीरेंद्र मोहन सिंह.सीमाएँ:उत्तर: रवि दुबे की भूमि, दक्षिण: सड़क, पूर्व: विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम: तिवारी एवं विक्रेता की भूमि: भौगोलिक निर्देशांक: 21.262316,81.609207, *नोट: एस.ए. क्रमांक 94/2022 संपत्ति के संबंध में लंबित है।	1) 09-06-2021 2) रू 29,67,829.34 + दिनांक 31-03-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 21-10-21 को सांकेतिक कब्जा	रू 23.57 लाख रू 2.35 लाख
8	उपाकर्ता/जां : 1) श्री अकबल अहमद पिता इकबाल अहमद, 2) श्री इकबाल अहमद पिता अलिक अहमद, जामनतादार: श्री राजेश देवांगन पिता श्री महताब राम देवांगन, शाखा कार्यालय: देवेन्द्र नगर (748400), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्रीमती दुर्गावती कुमारी,	आवासीय भूमि एवं भवन - खसरा नंबर 425/8 (भाग), मौजा: मठपुरेना, ए.ह.नंबर 105, आरएनएम प.ह.नं.नंबर 47, आरएनएम: रायपुर-1, वार्ड नंबर 52, मुक्तिधाम आजाद वार्ड, रायपुर, तहसील/जिला: रायपुर, छ.ग में क्षेत्रफल - 1250 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- मोहम्मद अकबल अहमद पिता मोहम्मद इकबाल अहमद। सीमाएं: उत्तर- विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण - विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व- सड़क, पश्चिम: विक्रेता की शेष भूमि।	1) 01.10.2025 2) रू 23,08,769.00 + दिनांक 29.08.2025 से ब्याज प्रभावी 3) 12.12.25 को सांकेतिक कब्जा	रू 24.00 लाख रू 2.40 लाख

आंशिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: श्री रघुवंश नारायण सिंह- 8789388472 -एजारघुवंश, रायपुर, दूरभाष क्र. - 0771-2210433/35

नोट:- 1) कृपया अचाल संपत्ति जब्त करने से पूर्व प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेजों की पड़ताल सुनिश्चित करें
2) उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लंबित बकाया (संपत्ति, करो, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा

महत्वपूर्ण नोट:- 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल https://bankknet.com के माध्यम से ऑनलाइन होगी, 2. इच्छुक बोलीदाता